प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन स्थान उरई

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री माँ शारदा इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल

विलांया, एट, जनपद-जालौन।

महोदय / महोदया,

शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में निहित निर्देशानुसार आपके दिनांक 25.07-17 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश मण्डलीय मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मैं आपके विद्यालय को दिनांक 19-01-2018 से दिनांक को तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:--

 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विविधित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय में संचालित होने वाली प्रत्येक कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगी।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अविनियन की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पृथक बैंक खाता रहेगा।

5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसके आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—

प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

॥. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तींण की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐं नहीं है, पांच बर्ष की अविध के भी भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं अर्जित करेंगें।

VII अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

विद्यालय प्ररिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित क्षेत्र

H:\MANYATA LETER.docx MANAGER

SHRI MAA SHARDA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL, BILAYAN,-AIT



Shri Maa Sharda International Public School, Ait क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह भंडागार के कक्षा कक्षों की संख्या बालक और बालिकाओं के पृथक शौचालय पेयजल सुविधा मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई बाधा रहित पहुँच

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही

चलाई जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रतृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया

जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक बर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट शीध्र सूचना प्रस्तुत करता है जो समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के संतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

17. प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जायें।

18. विगानीय आदेशों की अवहेलना करने एर अधवा अनियमितता पाये जाने पर मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

भवदीय

MAN (राजेश दुनार शाही) ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी जासीन स्थान उरई

/2016-17 / तद्दिनांक पृष्टांकन संख्या / बे०शि० / प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक, उ०प्र० शिक्षा निदेशालय. इलाहाबाद।

2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) झांसी मण्डल झांसी।

3. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

4. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड

5. कार्यालय आदेश पत्रावली।

(राजेश कुमार शाही) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन स्थान उरई

SHRI MAA SHARDA INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL, BILAYAN, -AIT

Shri Maa Sharda International Public School, Alt

H:\MANYATA LETER.docx